

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्षा भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
 क्रमांक / एफ-5 / 1230 / 2022 / 10-11 / 1986 भोपाल, दिनांक 8-4-24

प्रेषकः—

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
 नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
 मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
 क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
 लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः— सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु सीधी वन मण्डल की 34.32 हेक्टेयर वनभूमि एवं सिंगरौली वन मण्डल की 141.92 हेक्टेयर वनभूमि कुल 176.24 हेक्टेयर वनभूमि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/RAIL/33238/2018)

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक / 6-MPR 016/2023-BHO/281 दिनांक 24.01.2024 .

-----0-----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्थीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः—


क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन																																																									
1	Construction of underground components (Tunnels) and over ground components is proposed in the proposal, hence the State Government should submit the following documents/information: (i) Land schedule showing length, width and area wise details of all components in surface area and in underground area. (ii) Enumeration for surface area and underground area in separate sheet because in general the trees of underground area are not required to be felled. Therefore, it needs to be clarified as to how many actual number of trees need to be felled.	<p>बिन्दु क्रमांक (i) के संबंध में length, width and area wise details आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण संलग्न है। बिन्दु क्रमांक (ii) के संबंध में वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली एवं सीधी द्वारा प्रभावित वनभूमि के अन्तर्गत अनावश्यक वृक्षों की कटाई से बचाने हेतु प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु रेलवे विभाग एवं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर कटाई हेतु आवश्यक वृक्षों का गणना पत्रक सिंगरौली वन मण्डल का निम्नानुसार हैः—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>स.क्र.</th><th>प्रभावित कक्ष क्रमांक</th><th>पातन हेतु गणना किए गए वृक्षों की संख्या</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PF-197</td><td>1070</td></tr> <tr> <td>2</td><td>PF-200</td><td>2128</td></tr> <tr> <td>3</td><td>PF-201</td><td>2383</td></tr> <tr> <td>4</td><td>PF-202</td><td>269</td></tr> <tr> <td>5</td><td>PF-781</td><td>103</td></tr> <tr> <td>6</td><td>PF-782</td><td>313</td></tr> <tr> <td>7</td><td>RF-773</td><td>1926</td></tr> <tr> <td>8</td><td>PF-776</td><td>7203</td></tr> <tr> <td>9</td><td>PF-774</td><td>320</td></tr> <tr> <td>10</td><td>RF-848</td><td>36</td></tr> <tr> <td>11</td><td>PF-847</td><td>231</td></tr> <tr> <td colspan="2">योगः—</td><td>15,982</td></tr> <tr> <td colspan="2">सीधी</td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>PF-932</td><td>8499</td></tr> <tr> <td>2</td><td>PF-946</td><td>2303</td></tr> <tr> <td>3</td><td>PF-942</td><td>1161</td></tr> <tr> <td colspan="2">योगः—</td><td>11,963</td></tr> <tr> <td colspan="2">महायोगः—</td><td>27,945</td></tr> </tbody> </table>	स.क्र.	प्रभावित कक्ष क्रमांक	पातन हेतु गणना किए गए वृक्षों की संख्या	1	PF-197	1070	2	PF-200	2128	3	PF-201	2383	4	PF-202	269	5	PF-781	103	6	PF-782	313	7	RF-773	1926	8	PF-776	7203	9	PF-774	320	10	RF-848	36	11	PF-847	231	योगः—		15,982	सीधी			1	PF-932	8499	2	PF-946	2303	3	PF-942	1161	योगः—		11,963	महायोगः—		27,945
स.क्र.	प्रभावित कक्ष क्रमांक	पातन हेतु गणना किए गए वृक्षों की संख्या																																																									
1	PF-197	1070																																																									
2	PF-200	2128																																																									
3	PF-201	2383																																																									
4	PF-202	269																																																									
5	PF-781	103																																																									
6	PF-782	313																																																									
7	RF-773	1926																																																									
8	PF-776	7203																																																									
9	PF-774	320																																																									
10	RF-848	36																																																									
11	PF-847	231																																																									
योगः—		15,982																																																									
सीधी																																																											
1	PF-932	8499																																																									
2	PF-946	2303																																																									
3	PF-942	1161																																																									
योगः—		11,963																																																									
महायोगः—		27,945																																																									

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन																																										
1	(iii) The calculation of NPV and CA may also need to be proposed/calculated as per the prevailing rules/guidelines for underground and over ground area requirement.	<p>बिन्दु क्रमांक (iii) के संबंध में रेल्वे में प्रभावित वनभूमि हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं नेट प्रजेण्ट वैल्यू की गणना वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की है, जो निम्नानुसार है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Singrauli</th> </tr> <tr> <th>मद</th><th>रकबा</th><th>श्रेणी</th><th>घनत्व</th><th>NPV दर</th><th>राशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NPV</td><td>141.92</td><td>III</td><td>0.4</td><td>1228590</td><td>174361493/-</td></tr> <tr> <td>CA</td><td>385.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>171539320/-</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Sidhi</th> </tr> <tr> <th>NPV</th><th>III</th><th>0.8</th><th>1357110</th><th>46576015/-</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CA</td><td>68.64</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>30097083/-</td></tr> </tbody> </table> <p>टीप-(1) एन.पी.व्ही. की राशि गणना हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 06.01.2022 से निर्धारित दरों के अनुसार राशि की गणना घनत्व के आधार पर वन मण्डलों द्वारा की गई है। (2) प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 176.24 हेक्टेयर वनक्षेत्र के बदले दुगने बिंगड़े वनक्षेत्र सिंगरौली 385 + सीधी 68.64 = 453.64 हेक्टेयर वनक्षेत्र में रोपण योजना तैयार की गई है। मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.08.2023 एवं 13.01.2023 से तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है, आदेश की छायाप्रति संलग्न है।</p>	Singrauli						मद	रकबा	श्रेणी	घनत्व	NPV दर	राशि	NPV	141.92	III	0.4	1228590	174361493/-	CA	385.00	-	-	-	171539320/-	Sidhi						NPV	III	0.8	1357110	46576015/-		CA	68.64	-	-	-	30097083/-
Singrauli																																												
मद	रकबा	श्रेणी	घनत्व	NPV दर	राशि																																							
NPV	141.92	III	0.4	1228590	174361493/-																																							
CA	385.00	-	-	-	171539320/-																																							
Sidhi																																												
NPV	III	0.8	1357110	46576015/-																																								
CA	68.64	-	-	-	30097083/-																																							
2	The proposal includes both forest and non-forest areas, so the State Government should make a complete KML in which all the components proposed in forest and non-forest areas should be clearly shown in different colors.	आवेदक संस्थान द्वारा पूर्ण KML file ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है।																																										
3	The cost benefit analysis in prescribed format shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा cost benefit analysis तैयार कर दोनों वन मण्डलों का प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।																																										
4	The Rehabilitation plan shall be submitted.	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा Rehabilitation plan प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्राप्त होने पर पृथक से आपको प्रस्तुत किया जावेगा।																																										

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय


(एच.एस. मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक 8-4-24

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1230 / 2022 / 10-11 / 1987
प्रतिलिपि:-

- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
 - वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सीधी एवं सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
 - उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल